

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

बाबूलाल बनाम भूमिधारी

स मुकदमा प्रार्थना पत्र अं.धा. 128 एलआर एक्ट

मु0नं0 412 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/77

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री आनन्दी लाल सैनी एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अं.धा. 128 एलआर एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिए सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर मिसल दिनांक 18.08.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सघ  
आज अदालती कार्य का स्थगन कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
नं. 6/11/25 को पेश हो।

6/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित

P.O साहब पीगर कार्य में स्थगन

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/12/25

को पेश हो।

तारीख  
हुक्म

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना  
उनवानी बाबूलाल बनाम भूमिधारी मु0सं0 412/2025

03-12-2025


पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशनुसार सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 13.06.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 13.06.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस अशय का जारी किया जाता हैं कि :-

### आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम पुराना बास तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 47/1 रकबा 0.29 है0 में प्रार्थी, सहखातेदारान तथा पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 13.06.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना